न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
ओमप्रकाश रैगर(आरटीएस)
दिनांक 27.01.2021

मि.न. 53/2020

सरकार बनाम बन्शीराम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 221/55.06है0 किस्म चारागाह मेंसे 1.25है0 पर बन्शीराम पुत्र श्योनाथ जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली सरसों की बुआई कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। सूचना के उपरान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आया तथा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके आधार पर गैर सायल को अनुंतोष दिया जा सके। अतः गैर सायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। हमने पटवारी रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तवेजों पर गोर किया तो विवेचन में पाया कि गैर सायल का उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायल बन्शीराम पुत्र श्योनाथ जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम मलपुरा के ख0 न0 221/55.06है0 किस्म चारागाह में से 1.25है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई गई सरसों की फसल को नीलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 50रू. का पचास गुणा 2500रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी, बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 27.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2077-201.......... के रा० से० 4
के पृष्ठ संख्या 68.. पर ...2.5.00
रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली